राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 77 दिनांक 15 अप्रैल, 2023

श्री सतीश कुमार जैन
चेयरमैन / सी0ई0ओ0
कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
लाइन जीवनगढ़,
चकराता रोड, विकास नगर–248198
जिला–देहरादून।
Email Id : kalindihospital@gmail.com

1. कृपया अपर निदेशक, प्रशासन, रा0स्वा0प्रा0 द्वारा भेजी गयी ई–मेल दिनांक 10.04.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें हॉस्पिटल के निरस्त किये गये 171 क्लेम्स् की सूची (प्रत्येक क्लेम की धनराशि सहित) भेजी गयी है। इन 171 क्लेम्स् की कुल धनराशि रू0 47,66,790/- है। सुलभ संदर्भ हेतु यह पुनः संलग्न है।
2. कृपया निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, रा0स्वा0प्रा0 द्वारा भेजी गयी ई–मेल दिनांक 12.04.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें हॉस्पिटल के निरस्त किये गये 410 क्लेम्स् की सूची (प्रत्येक क्लेम की धनराशि सहित) भेजी गयी है। इन 410 क्लेम्स् की कुल धनराशि रू0 74,85,750/- है। सुलभ संदर्भ हेतु यह पुनः संलग्न है।
3. कृपया निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, रा0स्वा0प्रा0 द्वारा भेजी गयी ई–मेल दिनांक 13.04.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें हॉस्पिटल के निरस्त किये गये 215 क्लेम्स् की सूची (प्रत्येक क्लेम की धनराशि सहित) भेजी गयी है। इन 215 क्लेम्स् की कुल धनराशि रू0 60,89,080/- है। सुलभ संदर्भ हेतु यह पुनः संलग्न है।
4. उक्त उल्लेख किये गये 171 + 410 + 215 = 796 केसेज की कुल धनराशि रू0 47,66,790 + 74,85,750 + 60,89,080 = रू0 1,83,41,620/- है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निरस्त किये गये 796 केसेज की कुल धनराशि रू0 1,83,41,620/- मात्र क्लेम्स् की धनराशि है।

6. कृपया उक्त निरस्त किये गये 796 केसेज की कुल धनराशि रू0 1,83,41,620/- एक सप्ताह में अर्थात दिनांक 24.04.2023 तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निम्न बैंक खाते में जमा कराने का कष्ट करें।

Name of Beneficiary – Atal Ayushman Uttarakhand Yojana (Grant-in-Aid implementation Escrow A/c)
Account No. 016405006778
Name of Bank: - ICICI Bank, Dehradun
IFSC Code- ICIC0000164

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 72 दिनांक 15 अप्रैल, 2023

श्री सतीश कुमार जैन
चेयरमैन / सी0ई0ओ0
कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
लाइन जीवनगढ़,
चकराता रोड, विकास नगर–248198
जिला–देहरादून।
Email Id : kalindihospital@gmail.com

कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइन जीवनगढ़, चकराता रोड, विकास नगर, जिला देहरादून के निरस्त किये गये क्लेम्स् पर पेनल्टी लगाये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस

1. कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाइन्स, हॉस्पिटल–राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) के मध्य किये गये अनुबन्ध के प्राविधानों का उल्लंघन करने तथा SHA के साथ कपट / धोखाधड़ी करके फर्जी क्लेम लिये जाने के आपराधिक कृत्य के कारण दिनांक 09.03.2023 को हॉस्पिटल की सूचीबद्धता के निरस्तीकरण हेतु "कारण बताओ नोटिस" दिया गया, जिसका हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिया गया। हॉस्पिटल द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के उत्तर का अध्ययन एवं सम्यक् परीक्षणोपरान्त, हॉस्पिटल एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मध्य अनुबंध के सैक्शन 11, अनेक्शर 6 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा निर्गत Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment के चैप्टर 6 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, विकासनगर, जिला देहरादून की सूचीबद्धता (Empanelment) दिनांक 16.03.2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त की गयी। हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश दिनांक 16.03.2023 को हॉस्पिटल को भी प्राप्त करा दिया गया।
2. हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्तीकरण आदेश दिनांक 16.03.2023 से यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गयी हैं, धोखाधड़ी करके फर्जी क्लेम प्राप्त किये गये हैं तथा डॉक्टर के फर्जी

हस्ताक्षर से उपचार दिखाकर मरीजों के जीवन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। इस सम्बन्ध में हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्तीकरण आदेश दिनांक 16.03.2023 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

3. हॉस्पिटल की सूचीबद्धता को निरस्त किये जाने के पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की "Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment" प्रस्तर–6.3.4.7 (I) के अनुसार हॉस्पिटल के "Suspicious cases" की ऑडिट/विस्तृत जांच की गयी, जिससे यह ज्ञात हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे केसेज हैं, जिनमें हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को Qualified Anaesthetist (Post Graduate Degree of M.D.–Doctor of Medicine or Post Graduate Diploma in Anaesthesiology) से Anaesthesia का कार्य सम्पादित नहीं कराया गया और अयोग्य एवं अपात्र मात्र डिप्लोमा धारी नर्स से Anaesthesia सम्पादित कराया गया। ऐसे 171 मरीजों के केसेज के सम्बन्ध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा दिनांक 10.04.2023 को क्लेम निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। इन 171 केसेज के क्लेम्स् में रू0 47,66,790/- की धनराशि निहित है। ऑडिट/विस्तृत जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त 171 केसेज के अतिरिक्त 410 मरीजों के सम्बन्ध में भी अयोग्य एवं अपात्र डिप्लोमा धारी नर्स से Anaesthesia सम्पादित कराया गया। इन 410 केसेज को SHA द्वारा दिनांक 12.04.2023 को निरस्त किया गया। इन 410 केसेज के क्लेम्स् में रू0 74,85,750/- की धनराशि निहित है। इन 171 तथा 410 केसेज को प्रस्तर–6.3.4.7 (I) तथा प्रस्तर–6.3.4.8 एवं NHA की अन्य प्रासंगिक गाईडलाइन्स तथा हॉस्पिटल–SHA के मध्य अनुबंध के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा निरस्त किया गया। इन 171 तथा 410 केसेज में क्लेम निरस्त किये जाने का मुख्य आधार, अयोग्य एवं अपात्र डिप्लोमा धारी नर्स से Anaesthesia सम्पादित कराया जाना था। 410 क्लेम्स् को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 12.04.2023 निम्न प्रकार है :–

> *"During the audit, the Pre-Anaesthetic Check-up (PAC) report uploaded by the hospital in Transaction Management System (TMS) was examined. It was found that the PAC report has been signed by Shri Arpan Prakash who is not a doctor (Anaesthesiologist). Shri Arpan Prakash is only a Nurse (Male) whose qualification is Diploma in General Nursing. These facts are admitted by the Kalindi Hospital vide letter dated 10.04.2023 sent to SHA by Shri Satish Jain, Chairman/CEO of the hospital. According to the "Standard Treatment Guidelines" (STG) issued by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the Clinical Establishments Act, 2010, the Anaesthesia can be administered by a qualified Anaesthesiologist whose qualification must be recognized Post Graduate Degree of M.D. (Doctor of Medicine) or Post Graduate Diploma in Anaesthesiology and such Anaesthesiologist must be present in the operating room where a patient undergoes a procedure under Anaesthesia. It is also mentioned that*

as per clause 13 of section 10 of the contract between Hospital-SHA "The EHCP agrees to follow the guidelines issued by Department of Health & Family Welfare, Uttarakhand/MoHFW/NHA/SHA for the implementation of the AB-PMJAY/AAUY/SGHS schemes from time to time." It has also been admitted by the hospital in the letter of Chairman/CEO dated 10.04.2023 that there is no qualified Anaesthesiologist available / working in the hospital. Shri Arpan Prakash who has done Anaesthesia and signed the PAC report is clearly an unqualified person to perform Anaesthesia and sign on the PAC report as he possesses only a Diploma in Nursing. There is a clear violation of prescribed guidelines in respect of administration of Anaesthesia and the PAC report. This is a serious irregularity by the hospital and the quality of the treatment has been seriously compromised. Administration of Anaesthesia by unauthorized / unqualified person is a very serious issue concerning the life safety of the patients. The claim of the hospital is therefore liable to be rejected. Hence, the claim is hereby rejected. The conduct of the hospital is not only unethical but also seems to be fraudulent for which necessary legal action may be taken separately."

4. हॉस्पिटल की सूचीबद्धता को निरस्त किये जाने के पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की "Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment" के प्रस्तर–6.3.4.7 (I) के अनुसार हॉस्पिटल के "Suspicious cases" की ऑडिट / विस्तृत जांच में 215 केसेज का और परीक्षण किया गया। इन 215 केसेज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की "Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment" के प्रस्तर–6.3.4.7 (I) तथा प्रस्तर–6.3.4.8 एवं NHA की अन्य प्रासंगिक गाईडलाइन्स तथा हॉस्पिटल–SHA के मध्य अनुबंध के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा दिनांक 13.04.2023 को निरस्त किया गया। इन 215 केसेज के क्लेम्स् में रू0 60,89,080/- की धनराशि निहित है। SHA द्वारा 215 केसेज को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 13.04.2023 निम्न प्रकार है:–

"During the post claim audit of Kalindi Hospital, Dehradun, it was found that in 243 cases the treatment / surgery was not done by Dr. H.S. Rawat who has been admittedly shown as treating doctor by the hospital in TMS. Dr. Rawat has himself given to SHA in writing that these cases were not performed by him and he has not signed any medical papers uploaded by the hospital in TMS. This conduct of hospital was found in gross violation of guidelines of NHA and the act of hospital was not only irregular but also fraudulent in nature. It was decided by the SHA to immediately suspend the hospital and issue a show cause notice for its de-empanelment. The suspension order / show cause notice was issued on 09.03.2023. The hospital replied to the show cause notice on 15.03.2023. After careful examination of reply of the hospital to the show cause notice, the explanation of the hospital was not found satisfactory and the order of de-empanelment of the hospital was issued on 16.03.2023 with detailed reasons. For the criminal misconduct of the hospital, an FIR was also lodged and registered by Vikasnagar Police Station, Dehradun on 25.03.2023 as Crime No. 98/2023 under sections

409/420/467/468/471 of IPC. As out of 243 cases, 28 cases were already rejected during the initial processing of the claim by the Implementation Support Agency (ISA) on various other grounds, remaining 215 cases are hereby rejected as a result of post claim audit for the reasons mentioned in the de-empanelment order of the SHA dated 16.03.2023. The "कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट लाइन जीवनगढ़ चकराता रोड़, विकास नगर–248198 जिला देहरादून को निर्गत किये गये "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश' पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0/2022–23/1616 dated 16.03.2023 will be part of this order."

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की "Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment" के प्रस्तर–6.3.6 में "Actions to be taken after De-empanelment" बताये गये हैं। इस प्रस्तर के उप–प्रस्तर 6.3.6.2 के अनुसार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा दिनांक 24.03.2023, 10.04.2023 तथा 14.04.2023 को पुलिस स्टेशन, विकासनगर, देहरादून द्वारा एफ0आई0आर0 संख्या 98/2023 में धारा 409, 420, 467, 468 तथा 471 IPC के अन्तर्गत पंजीकृत की है।
6. उक्त से स्पष्ट है कि हॉस्पिटल का आचरण न केवल Unethical है वरन् यह कपटपूर्ण एवं आपराधिक आचरण भी है। हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को समुचित उपचार दिये जाने के स्थान पर अत्यन्त लापरवाही एवं लालचवश कार्य करते हुये Innocent मरीजों के जीवन की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया है। हॉस्पिटल द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन साधारण हेतु बनायी गयी महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत फर्जी क्लेम दाखिल करके योजना की छवि को भी धूमिल करने का कार्य किया है तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/सरकार को आर्थिक क्षति भी पहुंचाने का प्रयास किया है।
7. उक्त विवरण एवं अभिलेखों के आधार पर यह "कारण बताओ नोटिस" दिया जाता है कि क्यों न कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइन जीवनगढ़, चकराता रोड़, विकास नगर, जिला देहरादून को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **(NHA)** की **"Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment"** के प्रस्तर–**6.3.5.2,** उक्त गाईडलाइन्स के प्रस्तर–**6.4** तथा **NHA** की अन्य प्रासंगिक गाईडलाइन्स तथा हॉस्पिटल–**SHA** के मध्य अनुबंध के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार हॉस्पिटल पर उक्त उल्लेख किये गये कुल **796** केसेज में क्लेम्स की कुल धनराशि रू0 **1,83,41,620/-** के बराबर रू0 **1,83,41,620/-** की पेनल्टी भी क्यों न लगायी जाये। हॉस्पिटल को इस "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिये **05** कार्य दिवसों का समय दिया जाता है। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि यदि कोई अभिलेख हॉस्पिटल के स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तथा केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं तो वह उक्त

निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यदि हॉस्पिटल द्वारा **05** कार्यं दिवसों में नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि हॉस्पिटल को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा हॉस्पिटल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद देहरादून।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून।
4. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) को इस आशय से प्रेषित की अपने डिवीजन से सम्बन्धित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
6. सीनियर मैनजेर, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. आई0 ई0 सी0 सैल, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
8. गार्ड फाइल।

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण